न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

संभाग रीवा म0प्र0

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

III / निग0 / सतना / भू0अ0 / 2017 / 1953

1– श्रीमती लक्ष्मी चतुर्वेदी पत्नी श्री शंकरदत्त चतुर्वेदी निवासी महदेवा वार्ड कं0–30 सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2– श्री अमित कुमार शुक्ला तनय श्री दिनेश कुमार शुक्ला निवासी सिद्धार्थ नगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..........................अपीलार्थी/निगराकार

बनाम

1– श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री एस0पी0 सिंह (शिव प्रताप सिह गहरवार) गहरवार निवासी बोदाबाग रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 हाल निवास सर्किट हाउस के सामने उप वनमण्डल अधिकारी निवास, मजिस्ट्रेटी चौराहा सीधी जिला सीधी म0प्र0

2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला कलेक्टर सतना म0प्र0............................रेस्पा0गण/गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध अतंवर्तीय आदेश दिनांक 31–03–17 जो न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण कं– 105/अपील/2015–16 में पारित कर निगराकार की अपील म्याद से बाहर मानकर निरस्त की गई है।

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकरगण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि:–

क्रमशः...2

229

बराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / सतना / भू–रा0 / 2017 / 1953 जिला– सतना

श्रीमती लक्ष्मी चतुर्वेदी / श्रीमती सीमा सिंह

(1)	(2)	(3)
19.12.18 –	1. आवेदक की ओर से श्री विपिन त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उचेहरा, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 105 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.03.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

R–5464-II / 16